प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

तीन अभियुक्तो को चार वर्ष कारावास, अर्थदंड की सजा

दिनांकः 25.01.2023

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 25.01.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारणपूर्ण कर **दो अभियुक्तो को चार वर्ष व एक अभियुक्त को तीन वर्ष कारावास तथा 9,000/- रूपए अर्थदंड की सजा** सुनायी गयी है। थाना महोली से सम्बन्धित मु0अ0सं0 307/1997 धारा 324/34, 504 भादवि व 3(1)X SC/ST ACT बनाम 1.रामशंकर पुत्र रामस्वरूप 2.जयप्रकाश पुत्र रामशंकर नि0गण भटपुरवा थाना महोली सीतापुर 3.मंगूलाल पुत्र पुत्तूलाल नि0 उरदौली थाना महोली सीतापुर में महोली पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मनों को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 25.01.2023 को विचारणपूर्ण कर मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (SC/ST ACT) सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण जयप्रकाश व मंगूलाल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 304/34, 504 भादवि व 3(2)V SC/ST ACT में चार वर्ष कारावास व अभियुक्त रामशंकर उपरोक्त को तीन वर्ष कारावास व सभी को 9,000/- रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है।

....